


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक	फर्द अहकाम	
सू. नं० 55/16	तारीख 2 जू 01-07-2016	
	<p style="text-align: center;">उत्तमान - श्री प्रसाद बेनाम तहसीलदार दावा ब्याबत इस्तकराहक व इन्द्राज पुस्तती गाम शुद्धि</p> <p>वादी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता एवं दावा ब्याबत इस्तकराहक व इन्द्राज पुस्तती द्वारा 08 186 अहकाम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। दस्तावेजात का अंग लोकाग किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन से तलाब कर दिनांक 13-7-16 को पेश हो।</p> <div style="text-align: center;">                       उपजिला कलेक्टर                      टोडाभीम (करौली)                 </div>	1742 1-7-16
12/8/16	जनरल पेशी से पेश हुये वादी वकील उप/पैरोका सरकार उप/जबब पेश करे समय-चाहा/दिना गया/वास्ते जबब दिनांक 7-9-16 को पेश हो	
9/9/16	वकूलाय उप/जबब पेश करे समय-चाहा/वास्ते जबब दिनांक 29-9-16 को पेश हो	
14-10-16	वकूलाय उप/परीकराज अधिकारी करौली सुबारे है। अतः पतावटी गतानुसार दिनांक 24-10-16 को पेश हो	
21/10/16	वादी वकील व पैरोका सरकार उप/जबब पेशा वसे समय-चाहा/आदिना जबब पेश करे दि० 24-10-16 को पेश हो	

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
24/10	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी जिम्मेदार पंच्यो है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 3-1-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जम्</p>
3.1.17	<p>वादी वकील एवं पैरोका सरका (उप.) जबब पेश कने एक मोरा डोर दिया जला की पेश कने जबब दिनांक 30.1.17 को पेश हो।</p>
30/17	<p>सरकार पेशकार एवं वादी वकील उप. जबब के लिए समय चाहा दिया गया। वारे पेश करेगे जबब दिनांक 22.2.17 को पेश हो।</p>
22.2.17	<p>वकुलाय उप. पैरोका सरका को जबब पेश कने की हिदायत की गई कि आगाची सुनवार्ग सिधीपु आषपक रूप से जबब पेश करे। दिनांक 8.3.17 को पेश हो।</p>
8.3.17	<p>वकुलाय उप. पैरोका सरका ने रिपोर्ट जबब पेश किया। गफल दिलाडी वादी वकील ने बरस कने कर कपन किया। बरस सुनीगरी पैरोका सरका ने जबब पेश किया है कि गुम मोहनपु के बाला सं. 73 मे हरप्रसाद 56 हरपाल दर्ज हो रहा है जबकि हरपाल हरप्रसाद का दादा (बबा) लगता है पिता का</p>

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक	फर्द अहकाम
	<p>गाम मूलचंद है। गुम मोहनपुर के ही खाता संख्या 136, 137, 138, 139 में हरिप्रसाद शं. मूलचंद दर्ज है। गुम मोहन की कोठी के खाता संख्या 63 में हरिप्रसाद शं. मूलचंद दर्ज है। गिनाई व मोके की जांच के अनुसार सही नाम हरिप्रसाद शं. मूलचंद ही इस जगह सही किया जाने की उम्मीद की है। शारीर पत्रावली में बादी वकील ने भी अपने वकालत के समर्थन में कहा कि पेंशनर सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बादी का दावा सही है इसलिए मुताबिक दादा का दावा एवं पिता के सही नाम हरिप्रसाद शं. मूलचंद दर्ज करने के आदेश जारी किये जायें।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली का इन्फोर्मेशन किया रिपोर्ट काथर लक्ष्मीलाल बलयाल (पेंशनर सरकार) बड़खोरे का इन्फोर्मेशन किया / बादी का दावा सही है जो कि गाम डूकली का है चारा 136 पर Act के अन्तर्गत डूकली घोष्य है इसलिए गुम मोहनपुर की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 73 में हरिप्रसाद शं. मूलचंद, खाता संख्या 136, 137, 138, 139 में हरिप्रसाद शं. मूलचंद तथा गुम मोहन की कोठी की जमाबंदी सं. 2070-2073 के खाता संख्या 63 में हरिप्रसाद शं. मूलचंद दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं आदेश जारी हो। पत्रावली फंसल समाप्त होकर अम्बट से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।</p>

711 to 715  
10-3-17